आवश्यक

संख्या:53/2020/1997/12-2-2020-14/2016 टी0सी0-2

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) नं0-1135/2020 आदित्य दुबे एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को सुनवाई के उपरान्त पराली प्रबंधन हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) नं0-1135/2020 आदित्य दुबे एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को सुनवाई के उपरान्त पराली प्रबंधन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये हैं:-

"We find that it would be fitting, if services of National Cadet corps, NSS and Bharat Scouts and Guides, wherever available, are deployed for assisting in the monitoring of stubble burning in the agricultural fields in these States. We trust that the authorities in-charge of these forces shall enlist their services to the extent possible, to assist the one man Justice Lokur Committee for this purpose."

2. इस सम्बन्ध में दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

(1) फसल अवशेष, कूडा या अन्य अवशेष जलाने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए जनपद में स्थित एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 तथा भारत स्काउट एवं गाइड की सेवायें ली जायें। इसके लिए जनपद में स्थित इन संस्थाओं के जनपद स्तरीय प्रमुख/संयोजक (आर्गनाइजर्स) के साथ बैठक आयोजित कर रणनीति तैयार की जाए।

(2) इस कार्य में जनपद में स्थित समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षारत विद्यार्थियों एवं अन्य स्वयं सेवकों का सहयोग लिया जाय। इस हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इन संस्थाओं के वालन्टियर्स द्वारा अपने गांव के निवासियों को पराली जलाने से हो रहे नुकसान, बढते हुए प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान तथा पराली जलाने से मृदा को हो रहे नुकसान एवं इसके कारण कोरोना इलाज में आने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जाय। इसके लिए गांव स्तर पर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सम्पर्क/ जागरूकता अभियान चलाया जाए।

(4) यदि वालन्टियर्स के समझाने के उपरान्त भी किसी व्यक्ति द्वारा पराली/कूडा जलाया जाता है तो इसकी सूचना जिले में स्थापित राजस्व विभाग के कन्ट्रोल रूम को दी जाय। पूर्व में कोरोना हेतु स्थापित कन्ट्रोल रूम को ही इस हेतु प्रयोग किया जाए तथा इसमें कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि उपलब्ध रहे। कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर इन संस्थाओं के जिला स्तरीय प्रमुखों को उपलब्ध कराया जाए, जिनके माध्यम से दूरभाष नम्बर वालन्टियर्स को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) इन संस्थाओं के ग्राम स्तर पर जो भी कैम्प चलाये जाते हैं उन कैम्प के दौरान भी जन-मानस को पराली प्रबंधन हेतु जागरूक किया जाए।

(6) ऑन-लाइन कक्षाओं के माध्यम से भी छात्रों के मध्य सन्देश प्रसारित किये जायें जिससे वह अपने क्षेत्र में कृषकों को पराली प्रबंधन हेतु जागरूक कर सकें।

(7) इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक बढाई जाय तथा इसको मिशन शक्ति कार्यक्रम से भी जोडा जाए।

(8) जनपद में स्थित समस्त विभागों के प्रचार वाहनों का उपयोग कर पराली प्रबंधन एवं फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान, कोरोना संकट काल में कोरोना के मरीजों पर इसका दुष्प्रभाव तथा मृदा स्वास्थ्य के नुकसान के बारे में अवगत कराया जाए।

(9) ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगरीय क्षेत्र में भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। नगरीय क्षेत्र में कूडा जलाने एवं अन्य अपशिष्ट जलाने की घटनायें होती हैं इससे भी प्रदूषण बढता है जो कि इस कोरोना संकट काल में और अधिक नुकसानप्रद है। अत: नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक कर नगरीय क्षेत्र में किसी प्रकार की भी जलने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। इस कार्य में भी एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एवं भारत स्काउट एंव गाइड के स्वयं सेवकों की सहायता ली जाए।

(10) यह भी स्पष्ट करना है कि स्वयं सेवकों का कार्य पराली अथवा कूडा आदि न जलाने के सन्देश को जन-जन तक पहुंचाने हेतु प्रचार-प्रसार करने का है। लोगों को प्रेरित करना और समझाना है। स्वयं सेवकों को किसी प्रकार की कठिनाई एवं सूचना आदान-प्रदान के लिए जिले में स्थापित कन्ट्रोल रूम से सम्पर्क किया जायेगा।

उक्तानुसार युद्ध स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें जिससे फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:53/2020/1997/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, एन0सी0सी0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवायोजना, उत्तर प्रदेश।
6. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।